भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4800
जिसका उत्तर बुधवार, 24 मार्च, 2021 को दिया जाना है

विधायी प्रभाव आकलन

4800. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

श्री विनोद कुमार सोनकरः

डॉ. सुकान्त मजूमदार :

श्री निशीथ प्रामाणिक :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

डॉ. जयंत कुमार रायः

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :

श्री भोला सिंहः

क्या **विधि और न्या** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायी प्रस्तावों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत प्रभाव लाकर, पारदर्शी कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए विधायी प्रभाव आकलन (एलआईए) हेतु रूपरेखा बनाए जाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या सरकार ने एलआईए के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किसी समिति / कृतक बल का गठन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने 2014 में पूर्व-विधान परामर्श नीति तैयार की है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या सरकार का विभिन्न कानूनों के घोषित उद्देश्य को साकार करने के लिए पूर्व-विधान परामर्श और उत्तर-विधान जांच, दोनों को लागू करने की कोई योजना है ; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : जी, हाँ । विधायी समाघात निर्धारण की अवधारणा में आशयित विधान के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सूचित तथा पारदर्शी प्रक्रिया और सभी पणधारियों की सहभागिता और सम्मिलितता के साथ, अपेक्षित प्रशासनिक, वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता की तैयारी और उपलब्धता के माध्यम से एक समाघात या विश्लेषण करना अंतवर्तिल है ।

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को उन विषय मामलों को आबंटित किया गया है, जिस पर मंत्रालय/विभाग विधायी प्रस्तावों को प्रारंभ करता है, प्रक्रिया और कार्यान्वयन करता है और ऐसे विधायी प्रस्तावों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और न्यायिक समाघात का भी अध्ययन करता है । इसलिए, संबंधित मंत्रालय/विभाग को विधायी समाघात निर्धारण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किसी भी समिति/कार्य बल का गठन करना होगा ।

(ङ) से (छ) : पूर्व-विधायी परामर्श नीति 10 जनवरी, 2014 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति द्वारा विरचित की गई थी। उस समिति के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के क्रम में, विधायी विभाग ने उसके कड़ाई से पालन और अनुपालन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को उक्त नीति परिचालित कर दिया है।

विषयवस्तु से संबंधित मंत्रालय/विभाग पूर्व-विधायी परामर्श आरंभ करता है, जनता और सभी पणधारियों के साथ विचार-विमर्श करता है और इस आधार पर, अपनी विधायी नीति को अंतिम रूप देता है।

विषयवस्तु से संबंधित मंत्रालय/विभाग जनता, विशेषज्ञों और अन्य पणधारियों से प्राप्त इनपुट, सुझावों और फीडबैक के आधार पर विधान के पश्च-विधायी संवीक्षा करता है और उपांतरण के लिए, यदि कोई हो उचित विनिश्चय करता है ।

****